सहायक नर्सेस एवं मिडवाइफ (ए0एन0एम0) प्रशिक्षण–2023 के आनलाइन आवेदन भरने हेतु सामान्य दिशा–निर्देश एवं सूचनायें :–

1. आवेदन मात्र आनलाइन माध्यम से ही प्राप्त किये जायेंगे तथा पोर्टल पर आवेदन करने की अन्तिम तिथि 31.07.2023 है।
2. सहायक नर्सेस एवं मिडवाइफ (ए0एन0एम0) प्रशिक्षण–2023 हेतु प्रकाशित विज्ञापन दिनांक 15.06.2023 तथा शासन द्वारा जारी अनुदेश दिनांक 28.04.2022 पोर्टल पर उपलब्ध है, अभ्यर्थी इसका भली–भांति अध्ययन करने के उपरान्त ही आवेदन पत्र भरे।
3. यह चयन केवल महिला अभ्यार्थियों के प्रशिक्षण हेतु ही है।
4. आयु में शिथिलता :–

   क– एस0सी0/एस0टी0 श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिये– 05 वर्ष

   ख– ओ0बी0सी0 श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिये– 03 वर्ष
5. 36 ए0एन0एम0 प्रशिक्षण केन्द्रों की लिस्ट पोर्टल पर उपलब्ध है।
6. यह आवश्यक रूप से सुनिश्चित किया जाना है कि अभ्यर्थी द्वारा आनलाईन आवेदन करते समय ही ए0एन0एम0 प्रशिक्षण केन्द्रों (01 से 36 तक) का केन्द्रवार विकल्प अपनी वरीयता के अनुसार भरा जाये।
7. यदि अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन में गलत सूचनायें, गलत शुल्क तथा गलत प्रमाण–पत्र अंकित/अपलोड की जाती हैं, तो आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा, जिस हेतु अभ्यर्थी स्वयं उत्तरदायी होगा।
8. आरक्षण की विभिन्न श्रेणियों हेतु ऐसा प्रमाण पत्र मान्य होगा, जो निर्धारित प्रारुप पर उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा निर्दिष्ट सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत किया गया हो पिछडी जाति एवं आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग हेतु प्रमाण पत्र की वैधता दिनांक 31.07.2023 या इससे अधिक की अवधि तक होना आवश्यक है।
9. ऐसे इच्छुक आशा कार्यकत्रियों/आशा संगिनियों द्वारा प्रशिक्षण के लिये आवेदन भरा जा सकेगा, जो विभाग/एन0एच0एम0 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य में विगत 05 वर्षो से नियमित रुप से संतोषजनक कार्य कर रही हों एवं उक्त हेतु जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा तथा प्रशिक्षण में प्रवेश हेतु निर्धारित न्यूनतम शैक्षिक योग्यता रखना भी आवश्यक होगा। उक्त प्रमाण पत्र हेतु निर्धारित प्रारुप पोर्टल पर उपलब्ध है।
10. अभ्यर्थी द्वारा मूल निवास तथा पत्राचार का पता डालना आवश्यक है।
11. अभ्यर्थी के बैंक एकाउंट का सम्पूर्ण विवरण अंकित करना आवश्यक है।
12. आवेदन हेतु अभ्यर्थी का पूर्ण रुप से स्वस्थ होना आवश्यक है।
13. आरक्षण का लाभ उत्तर प्रदेश के मूल निवासी को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित प्रारुप पर निर्दिष्ट सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र वाले अभ्यर्थी को ही अनुमन्य होगा तथा अभ्यर्थिनी के पिता पक्ष से निर्गत प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। उत्तर प्रदेश से बाहर अन्य राज्यों के अभ्यर्थी अनारक्षित श्रेणी में ही आवेदन हेतु पात्र होगे।

14. आनलाइन पंजीकरण हेतु एक ई–मेल आई0डी0 एवं मोबाइल नम्बर से एक ही बार पंजीकरण किया जा सकता है।
15. आवेदन शुल्क का भुगतान करते समय बैंकिंग मानदंडों के अनुसार अतिरिक्त सेवा शुल्क लिया जाएगा।
16. अपलोड किये जाने हेतु अभिलेख :–

1– हाई स्कूल की मार्कशीट एवं सर्टिफिकेट / इण्टरमीडिएट (10+2) मार्कशीट।

2– पहचान पत्र (आधार कार्ड / वोटर आई0डी0 / पासपोर्ट / ड्राइविंग लाइसेंस)

3– मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा आशा कार्यकत्री / आशा संगिनी का प्रमाण पत्र।

4– चरित्र प्रमाण पत्र (प्रधानाचार्य द्वारा प्रमाणित) / दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा।

5– जाति प्रमाण पत्र (अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु अद्यतन जाति प्रमाण पत्र)।

6– आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग का अद्यतन प्रमाण पत्र।

7– स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित / भूतपूर्व सैनिक का प्रमाण पत्र।

आशा कार्यकत्री/आशा संगिनी के कार्य स्थल जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा उनके 05 वर्ष के संतोषजनक कार्य एवं व्यवहार का प्रारुप पर प्रमाण पत्र :—

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती...पत्नी. ....जन्मतिथि...निवासी.... ....जनपद द्वारा विभाग/एन0एच0एम0 के अंतर्गत आशा कार्यकत्री/आशा संगिनी के रुप में विगत 05 वर्षों से कार्य कर रही हैं। इस अवधि में इनकी सेवायें निरन्तर एवं कार्य संतोषजनक रहा है तथा इनका व्यवहार भी उत्तम रहा है। इनके द्वारा कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया गया है, जो इन्हें सहायक नर्सेज एण्ड मिडवाइफ (ए0एन0एम0) प्रशिक्षण हेतु अयोग्य करे।

दिनांक.......................................

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
जनपद.................................
उत्तर प्रदेश।
(मोहर एवं हस्ताक्षर सहित)